

वक्र सं-73/14

नावायण वनाम स्मृकार वर्ग

7/3/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय वार एरोसिपेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीछे तीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 11/3/25 को पेश हो।

4
आज्ञासे सीकर

11/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी-9 रिवादी भा.दि. 0390
प्रमाण-07 R.1) की वरुष ठेकु पत्रावली दिनांक
20/3/25 को पेश हो

20/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी-जारीवादी भा.दि. उफ.)
पैरोकार सकार उफ.) जारीवादी सं. 3 की ओर
से उत्तर जारीना प्र अन्तर्गत आदेश 7 निधम
11 वा. दीवानी पर उमणसकारान्-आभिवस्ताणा
सं पैरोकार सकार की बरत सुनी गई।

पत्रावली में विस्तृत निधि पृष्ठाक
से लिखा जाकर सरे इच्छास सुनाया गया। जारीवादी
सं. 3 की ओर से उत्तर जारीना प्र अन्तर्गत आदेश
7 निधम 11 वा. दीवानी स्वीकार किया जाने से
वादी गल उत्तर बाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क
सं 188 राजस्मान काठनकारी आभिवस्ताणा की
स्वीकार किया जाया है।

निधि सुने न्यायालय में
सुनाया गया। रिडी पचां जारी है। पत्रावली
कैसल शुमार लेकर जारीना प्र अन्तर्गत ही तथा
नम्बर से कम ही।

20/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नारायण पिता छोगा जाति गुर्जर निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोपी पिता छोगा जाति गुर्जर निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नानू पिता छोगा जाति गुर्जर निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. रतनलाल पिता छोगा जाति गुर्जर निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. चम्पा बेवा छोगा जाति गुर्जर निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
2. तहसीलदार, भीलवाड़ा
3. आयुक्त, नगर परिषद भीलवाड़ा
4. राधा पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 73/2014 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित एवं पैरोकार सरकार उपस्थित- इस वाद में आज तारीख 20.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।


20/3/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा